दावा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख ... जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	27/1/18 वकील वादी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 2/2/18 को पेश हो।	
	2/2/18 वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 26/2/18 को पेश हो।	
	26/2/18 वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दिनांक 13/6/17 को विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 R.T. Act इस आशय का पेश किया कि वादी के पिता को वादी के दादा मालासिंह से चक न० 8 K.S.P. के मु० न० 163/315 के कि० न० 16 ता 25 की 2.530 है० भूमि प्राप्त हुई थी। वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी न० 2 ता 5 ने अपना हक व हिस्सा तर्क कर दिया है। वह अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती है। अब उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी न० 1 बहैसियत बराबर हकदार है। वादी व प्रतिवादी ने मद न० 5 में दर्ज हिस्सा अनुसार भूमि का बंटवारा कर लिया है। मुताबिक बाहमी बंटवारा	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्रकरण सं० 217 सन् 2017 जसप्रीतसिंह / बलविन्द्रसिंह
दावा 88,53 R.ना.अधि.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस ...
	वाद वादी डिक्री फरमाया जावे। वाद वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। दिनांक 6/7/17 को वादी व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया। विद्वान अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक होना साबित है मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावे अपने तर्क की पुष्टि में वाद की ताईद में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी चक 8 K.S.P. खाता सं० 52/42 बहक मालासिंह व बलवीरसिंह राजीनामा इत्यादि की ओर ध्यान आकर्षित किया। विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि होना साबित है। मुताबिक राजीनामा काबिल अन्तिम डिक्री है। अत: वाद वादी मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि चक न० 8 K.S.P. के मु० न० 163/315 कि० न० 16 ता 25 की 2.530 है० भूमि के वादी व प्रति० न० 1 खातेदार काश्तकार है। मुताबिक राजीनामा उक्त भूमि में से वादी के पास चक न	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

दावा 88,53 R.V.A.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
8K.S.P. के प० न० 163/315 (34) कि० न० 20 ता 25 की 6 बीघा व प्रतिवादी न० 1 के पास चक न० 8K.S.P. के प० न० 163/315 (34) कि० न० 16 ता 19 की 4 बीघा भूमि रहेगी। इसी अनुसार बाद रहन मुक्त राजस्व रेकार्ड में खाता व लगान अलग-2 कायम किया जावे। तादाद 100/- रू० का स्टाम्प तकमील न शामिल फाईल करवाया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर सलंग्न की जावे। व्यय बाद उभय पक्ष बारी। प्रतिवादीगण सेवय अपना-2 वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश बसर इजलास सुनाया गया।	

(signature)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner